

घोषणा-पत्र-(ब)

(ठेकेदार द्वारा)

1. मैं (नाम)पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....उम.....(वर्ष), निवासी
वार्ड.....ग्राम/काँलोनी.....पंचायत समिति/नगर
पालिका.....जिला.....का रहने वाला हू। मेरे आधार नम्बर/भासाशाह
नम्बर.....एवं मोबाइल नम्बर.....है।

2. मैं/मेरा संस्थान श्रम विभाग.....मैं बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसका पंजीयन क्रमांक
.....है। मेरा/संस्थान का जी.एस.टी. नं....., टिन नं....., पैन नंहै। मैं
.....श्रेणी के ठेकेदार के रूप में पंजीकृत हू।

3. यह कि(मुख्य नियोजक का नाम व पता), जिसकी प्रोजेक्ट लागत लगभग
रूपये.....है तथा कुल निर्माण क्षेत्रवर्ग फुट है, का निर्माण कार्य मेरे द्वारा किया गया है। उक्त निर्माण पर नियमानुसार देय
उपकर राशिरूपये दिनांकको जमा करा दिये है/उपकर राशि देय नहीं है। मेरे द्वारा दिनांक.....से
दिनांक.....के मध्य कराये गये उक्त निर्माण में निम्नलिखित श्रमिक नियोजित किये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

नाम- पिता का नाम- क्या कार्य किया- कब से कब तक कार्य किया

I

II

III

(यदि सूचना विस्तृत है तो एक अलग से प्रपत्र लगावें)

4. यह कि इस निर्माण कार्य पर श्री/श्रीमती
.....पत्नी/पुत्र.....निवासी.....आधार
नं.....भासाशाह नं.....मोबाइल नं.....ने दिनांकसे दिनांक.....तक कुलदिन
बेलदार/मिस्ट्री/.....के रूप में कार्य किया है। श्रमिक को मेरे अधीन किये गये कार्य का रूपये.....प्रतिदिन की दर से पूर्ण भुगतान
कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त श्रमिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

5. यह कि मेरे द्वारा दिया गया उल्लेखित समस्त विवरण/निर्माण श्रमिक प्रमाणीकरण पूर्णतः सही है। प्रमाण-पत्र का विभागीय अधिकारियों
द्वारा जांच/मौका निरीक्षण के दौरान फर्जी/असत्य पाये जाने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 420 एवं अन्य प्रावधानों के
अन्तर्गत मेरे विरुद्ध की गई कार्यवाही की मैं पूर्ण रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हू। एवं कथित प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किये
गये श्रमिक द्वारा प्राप्त की गई हितलाभ की राशि की वसूली श्रमिक से कराने हेतु मैं बाध्य रहूँगा।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

(ठेकेदार का नाम मय सील)